न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी:— कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या— 75 / 2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0

बालू पुत्र भैरू जाति गुर्जर उम्र 75 वर्ष पेशा काश्त निवासी रेनखेड़ा तह0 रावतभाटा।

..................प्रार्थी

विरूद्ध

1. गोविन्द पिता नन्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग पे0काश्त निवासी रेनखेड़ा तह0 रावतभाटा।
2. राजू पिता नन्दा जाति गुर्जर उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी रेनखेड़ा तह0 रावतभाटा।
3. मदनलाल पिता भैरू उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी रेनखेड़ा तह0 रावतभाटा।
4. राकेश पिता मांगीलाल उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी रेनखेड़ा तह0 रावतभाटा।
5. रामकिशन पिता मांगीलाल उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी रेनखेड़ा तह0 रावतभाटा।
6. भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा।

..................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

अभिवक्ता प्रार्थी की ओर से :— **श्री आजाद हुसैन।**

दिनांक:— 23 / 03 / 2022

—:आदेश:—

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि मौजा ग्राम व पटवार हल्का रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2072—75 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 196 आराजी न. 483,484,534,536,529,630,734,827 रकबा क्रमश: 0.02,0.82,0.34,0.31,0.23,0.81,0.45,0.31 कुल किता 08 कुल रकबा 3.29है0 कुल लगानी 27.13 पै0 प्रार्थी के नाम पर सह—खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 483, 484, 534, 536, 529, 630, 734, 827 में न्यायालय द्वारा डिक्री किया जाकर मोके पर पटवारी हल्का द्वारा प्रत्येक आराजी का 1 / 4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है परन्तु मोके पर पटवारी द्वारा प्रार्थी को उसके हिस्से की जमीन नही दिखाई गई है। जिससे फरिकेन की बीच विवाद हो रहा है, प्रार्थी को मौके पर काश्त करने से रोक रहे है और बाधा उत्पन्न कर रहे है और कहते है कि तेरी जमीन कोनसी है। जिससे मौके पर वाद—विवाद बना रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर दिनांक 23.02.2022 को अप्रार्थी संख्या 01व 05 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 08.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नही कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम व पटवार हल्का रेनखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2072—75 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 196 आराजी न. 483, 484, 534, 536, 529, 630, 734, 827 रकबा क्रमश: 0.02,0.82,0.34,0.31,0.23,0.81,0.45,0.31 कुल किता 08 कुल रकबा 3.29है0 कुल लगानी 27.13 पै0 प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/—रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.पी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner